BY FAX/ E-Mail
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना
अति–आवश्यक

कार्यालय आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांकः– एफ ( )व.ना.ती.या.यो./ देव/2013/12835–41 दिनांकः– 24.7.13

संभागीय आयुक्त,

जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर,

बीकानेर, कोटा, भरतपुर।

विषय :– वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2013 के अन्तर्गत स्पेशल ट्रेन हेतु नियुक्त कार्मिकों के दायित्वों के संबंध में।

महोदय,

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अन्तर्गत स्पेशल तीर्थ यात्रा रेल गाडियों के लिये ट्रेन प्रभारी अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, अनुरक्षक एवं सुरक्षा प्रहरियों के दायित्वों की सूची पत्र के साथ संलग्न कर भिजवायी जा रही है। कृपया नियुक्ति आदेशों में इनके दायित्वों के संबंध में निर्देश प्रदान करने का कष्ट करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(भवानी सिंह देथा)
आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक : एफ ( )व.ना.ती.या.यो./ देव/2013/12842–48 दिनांक : 24.7.2013

सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग,जयपुर(प्रथम)/जोधपुर/अजमेर/ बीकानेर/कोटा/ भरतपुर/ उदयपुर को प्रेषित कर निर्देश है कि इस संबंध में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(वी.सी.गर्ग)
अतिरिक्त आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर

<u>तीर्थ यात्रा हेतु स्पेशल ट्रेन के प्रभारी अधिकारी के दायित्व</u>

1. ट्रेन प्रभारी अधिकारी यात्रा के दौरान अनुरक्षकों, देवस्थान विभाग के अधिकारियों, आईआरसीटीसी एवं रेलवे के अधिकारियों से समन्वय कर उनसे निरन्तर सम्पर्क कर यात्रा हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करेंगें।
2. ट्रेन प्रभारी अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग स्टेशन के समीप स्थापित काउन्टर पर एकत्रित यात्रियों को अनुरक्षकों, चिकित्सा अधिकारी, आईआरसीटीसी के अधिकारियों द्वारा यात्रा के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देगें।
3. प्रभारी अधिकारी अनुरक्षकों द्वारा ट्रेन में यात्रियों को बैठाते समय, यात्रियों के दर्शनों हेतु ट्रेन से उतरते एवं पुनः दर्शन से लौटने पर उनकी गिनती कर उन्हें ट्रेन में निर्धारित स्थल पर बैठाने के बाद ली गई उपस्थिति की समीक्षा करेगा। इस बात का विशेष ध्यान दिया जावे कि यात्रा के दौरान कोई यात्री कहीं छूट ना जावे।
4. प्रभारी अधिकारी यात्रा के दौरान किसी यात्री के अस्वस्थ होने की स्थिति में तत्काल ट्रेन में उपलब्ध चिकित्सक एवं चिकित्सा स्टाफ को सूचित कर उनके समुचित ईलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
5. आई.आर.सी.टी.सी. के स्टाफ द्वारा यात्रियों को दिये जाने वाले ना ते भोजन एवं पेयजल व्यवस्था संबंधी पूरा ध्यान रखेंगे।
6. ट्रेन प्रभारी यात्रा के दौरान प्रत्येक गतिविधि की सूचना संबंधित जिले के प्रशासनिक अधिकारी, रेलवे तथा देवस्थान विभाग के अधिकारियों को देगा।
7. यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में तत्काल आईआरसीटीसी रेलवे एवं देवस्थान विभाग के अधिकारियों को सूचित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
8. यात्रा के दौरान आकस्मिक स्थिति में चिकित्सा दवाई आदि के लिये 20,000/– रूपये की राशि व्यय करने हेतु अधिकृत होंगे। यह राशि आई.आर.सी.टी.सी. के ट्रेन प्रभारी के पास उपलब्ध रहेगी।

अनुरक्षकों के दायित्व

1. संभाग स्तरीय समिति द्वारा यात्रा हेतु चयनित यात्रियों को यात्रा एवं स्पेशल ट्रेन के आगमन के स्थान एवं समय की सूचना देना।
2. रेलवे स्टेशन के समीप काउन्टर पर यात्रियों को एकत्रित कर उनसे दो–दो रंगीन फोटो, मूल पहचान पत्र (फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, फोटोयुक्त राशन कार्ड) प्राप्त कर मौके पर ही परिचय पत्र तैयार कर देना, आईआरसीटीसी के टूर वाउचर (यात्री टिकिट) मुख्यमंत्री महोदय की ओर से शुभ यात्रा संदेश, महत्वपूर्ण दूरभाष नंम्बर की सूची देगें और यात्रियों की उपस्थिति के हस्ताक्षर करवायेंगे।
3. सहायक आयुक्त से यात्रियों के विवरण की सूची प्राप्त करेगा जिसमें उनका पता एवं सम्पर्क नम्बर हों। उपस्थित अनुपस्थित यात्रियों की सूचना तत्काल सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग को देगें।
4. अनुरक्षक ट्रेन प्रभारी अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी एवं आई आरसीटीसी के अधिकारियों से सम्पर्क कर उनके मोबाईल नम्बर अपने पास रखेंगे और यात्रा के दौरान कोच के यात्रियों की देखभाल, खाने पीने एवं ठहरने, तीर्थ स्थल पर सुरक्षित रूप से दर्शन करवाने की आवश्यक व्यवस्थाएं आपसी समन्वय कर सुनिश्चित करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बस द्वारा तीर्थ स्थल जाते एवं आते समय कोई यात्री अपने समूह से बिछुड़ ना जाये। किसी भी प्रकार की स्थिति होने पर तत्काल ट्रेन प्रभारी अधिकारी एवं आईआरसीटीसी के ट्रेन प्रभारी को सूचित करेंगे।
5. आवंटित कोच के यात्रियों के ट्रेन से उतरते समय, तीर्थ स्थल पर दर्शन के दौरान एवं पुनः ट्रेन में बैठते समय यात्रियों की उपस्थिति की गणना की जाना सुनिश्चित करेंगे।
6. अनुरक्षक ट्रेन में नियुक्त ट्रेन प्रभारी से समन्वय कर यात्रा के दौरान उनके द्वारा दिये गये आवश्यक निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगा।

चिकित्सा अधिकारी के दायित्व

1. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के जिला औषधी भण्डार से स्पेशल ट्रेनवार तीर्थ यात्रियों के लिये आवश्यक जीवन रक्षक औषधियाँ प्राप्त करना। इस हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क कर यात्रियों के लिये प्राथमिक चिकित्सा व मौसमी बीमारियों के ईलाज हेतु आवश्यक किट एवं दवाईयों की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
2. स्पेशल ट्रेन में यात्रा के दौरान आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3. ट्रेन प्रभारी अधिकारी, आई.आर.सी.टी.सी. के स्टाफ एवं अनुरक्षकों से समन्वय रखते हुये यात्रियों की स्वास्थ्य की समुचित देखभाल करना।
4. पेन्ट्री कार में तैयार किये जाने वाले नाश्ते एंव भोजन की गुणवत्ता की जाँच करना सुनिश्चित करेंगे।

सुरक्षा प्रहरियों के दायित्व

1. ट्रेन प्रभारी अधिकारी, आईआरसीटीसी के अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी एवं अनुरक्षकों से समन्वय करते हुये यात्रा के दौरान यात्रियों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें।
2. स्पेशल ट्रेन की रवानगी के समय यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण अधिकारियों के मोबाईल नम्बर संकलित कर यात्रा के दौरान उनसे समन्वय रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करें।
3. तीर्थ दर्शन/पूजन के समय यात्रियों की सुरक्षा।
4. आपातकालीन स्थिति में रेलवे, आईआरसीटीसी, देवस्थान विभाग एवं जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करना।